सं0-06/2017/651/62-2-2017-2/3(08)/2016टी0सी0

प्रेषक,

मोनिका एस गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 30 मार्च,2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में मद-14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त कर व्यय किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-268/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/2016-17, दिनांक 23.02.2017 एवं शासनादेश सं0-1092/62-2-2016-2/3(08)/2016, दिनांक 13.4.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लधु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना--14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) को अवमुक्त करते हुए 02 बोलेरो जीप व 01 मारूति सियाज क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की सीमा तक व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13.4.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

(3) पुन: यह सुनिश्चित कर लेगें कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नही हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में लिया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नही होगा।

(5) प्रश्नगत वाहनों हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर- 80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(मोनिका एस; गर्ग)
प्रमुख सचिव।

सं0-06/2017/651(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।